न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 152/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 53/88 आरटीए

सुखपाल सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख सा. चकप्रतापनगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम्

हरमीत सिंह पुत्र स्व. राजपाल सिंह
गुरमीत कौर पुत्री स्व. राजपाल सिंह
चरणजीत कौर पत्नी स्व. राजपालसिंह
जसपाल सिंह, मलकीत कौर, गुरमीत कौर, मनजीत कौर, कुलविन्द्र कौर — पिसरान हजूरसिंह — जाति जटसिख सकनाए चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

सुखदीपकौर धर्मपत्नि स्व. जसकरण सिंह पुत्र जंगासिंह उर्फ जंगसिह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
0. अमृतपाल कौर पुत्री स्व. जसकरण सिंह पुत्र जंगा सिंह उर्फ जंगसिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. जसकरण सिंह पुत्र जंगा सिंह उर्फ जंगसिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. दर्शन सिंह, 3. बलकरण सिंह — पुत्रगण जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. मनदीप सिंह पुत्र देव सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 27 संगरिया तहसील संगरिया।
5. मोहन सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति तरखान साकिन बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. सहीराम पुत्र चन्दूराम जाति सुथार साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. हुकमा, 8. बीरू, 9. अरजन — पुत्रगण भूरा जाति सुथार साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. कृष्ण लाल पुत्र बीरूराम जाति सुथार साकिन बोलावाली हाल आबाद कालूसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
11. गमदूर सिंह, 12. जगेन्द्र सिंह, 13. राजेन्द्र सिंह, — पुत्रगण हाकम सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. कौर सिंह पुत्र सन्धूरा सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रतापनगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. जगजीत सिंह (फौत)
15/1 गुरप्रीत कौर पत्नी जगजीत सिंह पुत्र सन्धूरा सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15/2 स्वेग सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र सन्धूरा सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15/3 अमनदीपकौर पुत्री जगजीत सिंह पुत्र सन्धूरा सिंह जाति जटसिख साकिन चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा 10 एन.टी.डब्लू चक प्रतापनगर जरिये प्रबन्धक
27. बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया जरिये प्रबन्धक
28. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थितः— श्री रामनिवास बेदी अधिवक्ता — वादी
श्री रविन्द्र कुमार प्रतिवादी संख्या 27

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निर्णय

दिनांक :- 9.6.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53/88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि चक 10 एन.टी.डब्लू. अंतिम चौसाला आधार संम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 33/79 खाता अर्जन वगैरा के कुल साझा खाता 1.011है0 में वादी के दादा स्व. हजूर सिंह पुत्र ज्वाला सिंह के नाम 1701/1011है0 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है। जिसका कुछ भाग चक 13 ए.एम.पी. अंतिम चौसाला आधार संम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 135/95 साझा खाता अजरन सिंह वगैरा का कुल साझा खाता 1.264है0 स्थित है। दोनो चको कि चालू जमाबन्दी सलग्न वाद-पत्र है। जो वाद-पत्र का आधार है। वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल कृषि भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के बीच घरू बंटवारा हो चूका है। उपरोक्त घरू बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानों को ध्यान में रख कर किया गया है। घरू बंटवारा में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने अपने अपने पैतृक हक हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। इसी अनुसार पूर्व में सह खातेदारों के साथ हुए खाता विभाजन के समय स्व. भूरा राम ने अपने हक हिस्से का परित्याग पूर्व में काश्त की सुविधानुसार वादी के पूर्वजों को चक 13 ए.एम.पी. के खाता संख्या 135/95 में कर दिया था। जिसकी एवज में वादी के पूर्वजों ने चक 10 एन.टी.डब्लू में स्व. भूरा राम का हिस्सा पूरा कर दिया था इसलिए आज चक 13 ए.एम.पी. में स्व. भूरा व स्व. भूरा के वारिसों का कोई हक व हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। मात्र नाम व हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादी के हिस्सा में आई भूमि का विवरण कब्जा काश्त मुताबिक निम्नप्रकार चक 10 एन.टी.डब्लू जमाबन्दी संम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 33/79 प.नं. 152/169 मु.नं. 5 किला नं. 5/1/0.088, 5/2/0.038, 6/1/0.215, 6/2/0.038, 15/1/0.215, 15/2/0.038, चक 13 ए.एम.पी. जमाबन्दी संम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 135/95 प.नं. 152/169 मु.नं. 42 किला नं. 5/1/0.126 उपरोक्त भूमि पर अरसा दराज पूर्व से यानि घरू बंटवारा के रोज से वादी की शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर आज कोई विवाद नहीं है। कि घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमे वादी का जन्म जात हक व खातेदारी हिस्सा बनता है। इसलिए वादी वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार कहलाने का अधिकारी एवंम दावेदार है। तथा कब्जा काश्त मुताबिक अपना खाता अलग कायम करवाने का हकदार है। आज खाता कब्जा काश्त मुताबिक वादी के नाम नहीं होने के कारण व खाता साझा होने के कारण सीव बट रकम राज आबयाना इत्यिादी को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। जबकि प्रतिवादीगण का दायित्व बनाता है। कि वो वादी को कब्जा काश्त मुताबिक खातेदार मानकर हिस्सा मुताबिक अपना खाता अलग कायम करवा लेवे। कि गत माह वादी ने प्रतिवादीगण सें नम्र निवेदन किया कि वो वाद भूमि में वादी को हिस्सा मुताबिक खातेदार काश्तकार मानकर कब्जा काश्त अनुसार खाता अलग कायम करवा लेवे। तो पहले तो वह आज कल आज कल करते रहे गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है। कि सह प्रतिवादीगण अर्जन,हूकमा व बीरू पुत्रगण भूरा नें खाता चक 10 एन.टी.डब्लू के खाता संख्या

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

33/79 व चक 13 ए.एम.पी. के खाता संख्या 135/95 से अपना खाता पुर्व में सह खातेदारों से अलग कायम करवा लिया था। इसलिए आज उपरोक्त खाता में शहवन से सह प्रतिवादीगण अर्जन, हूकमा व बीरू पुत्रगण भूरा का नाम व हिस्सा गलत दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त खाता में आज इनकी कोई कब्जा काश्त व हक हिस्सा नहीं है। चक 13 ए.एम.पी. के खाता संख्या 135/95 से अर्जन, हूकमा व बीरू का नाम व हिस्सा कलमजन कर 0.126है0 हिस्सा वादी के नाम कब्जा काश्त मुताबिक दरूस्त कर वादी को 0.126है0 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्त कार किया जावें। कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को परिवार का सदस्य होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 25 को सह खातेदार होने के कारण व प्रतिवादीगण संख्या 26 व 27 के नाम भूमि रहण होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 28 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी घोणात्मक हक व खाता तकसीम के अनुतोंष का है। जो उचित न्याय शूल्क पर प्रस्तूत है। तथा काबिल समायत अदालत वाला व अन्दर मियाद है।

अतः वाद–पत्र वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कि चक 10 एन.टी.डब्लू के खाता संख्या 33/79 में स्व. हजूर सिंह पुत्र ज्वाला सिंह के हिस्सा का व चक 13 ए.एम.पी. के खाता संख्या 135/95 में दर्ज अर्जन, बीरू, हूकमा पुत्रगण भूरा के नाम दर्ज हिस्सा का वादी कब्जा काश्त मुताबिक खातेदार काश्तकार है एवं वाद–पत्र के चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार वादी का खाता अलग कायम किया जाकर आबयाना अलग जमा करवाया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 26 बावजूद तलबी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 27 व 28 की ओर से जवाब बैक/स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सुखपाल सिह ने शपथ पत्र अ. आ. 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया और वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ताा 26 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वाद पत्र में वर्णितानुसार सहकाश्तकारों के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 27 एवं 28 ने जवाब स्टेट पेश किया प्रकरण में कोई विरोधा–भास नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी द्वारा घोषणा/खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। लेकिन मौका पर कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 उपस्थित नहीं होने व भूमि में सह–खातेदार होने के कारण इनके हित को ध्यान में रखते हुए वादी के वादपत्र में तहसीलदार संगरिया से समस्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सह–काश्तकारों के हक हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित नजरी नक्शा मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि चक 10 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 33/79 खाता अर्जन वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एवं चक 13 ए.एम.पी. खाता संख्या 135/95 खाता अरजन वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के समस्त काश्तकारों की उपस्थिति में उनको विधि सम्मत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उनके हक हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वयं के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशंसा सहित भिजवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से तहरीर जारी होकर तद्नुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.6.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया